संख्या-3991/14-2-2014-800(153)/2014

प्रेषक,

लाल जी राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 17 जून, 2015

विषय- झांसी में बी0एस0एन0एल0 द्वारा गरौठा-मोती कटरा मार्ग किमी0 09 से किमी0 11.2 तक एवं किमी0 12.5 से 13.5 तक (3.2 किमी0)ओ0एफ0सी0 डालने हेतु 0.144 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1005/11सी-झांसी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 तथा पत्र संख्या- 519/ओ0एफ0सी0-बीएसएनएल-झांसी-21, दिनांक 29-9-2014, जिसका प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यूपी/अदर्स/6527/2014 है, के संदर्भ में झांसी में बी0एस0एन0एल0 द्वारा गरौठा-मोती कटरा मार्ग किमी0 09 से किमी0 11.2 तक एवं किमी0 12.5 से 13.5 तक (3.2 किमी0) ओ0एफ0सी0 डालने हेतु 0.144 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 16-10-2000 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 तथा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या-ii/Fe/ROC/95-2011-Part-v/1140, दिनांक 18-3-2011 के अन्तर्गत प्रदत्त सामान्य स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं-

(1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष् का पातन नहीं किया जायेगा।
(2) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।
(3) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 1.65 मीटर गहरी एवं 0.45 मीटर चौडी से अधिक न होगी।
(4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
(5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
(6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
(7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
(8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(14) वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम एवं प्रीमिएम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेण्ट लेकर पटटाधारक को वनभूमि का कब्जा दिया जायेगा।

(15) पद्टाधारक द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो का सम्मिलित करते हुए पट्टाविलेख का आलेख प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पद्टाविलेख के विधीक्षण हेतु न्याय कन्वेसिंग कोष्ठक के शासनादेश संख्या-198/7जीसी-90-3-89, दिनांक 19-6-89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01-न्याय प्रशासन-501-सेवायें और फीस-01 की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान की प्रति पटटाविलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(16) प्रश्नगत भूमि प्रथम बार 20 वर्ष की होगी, जो आगे 10 वर्ष के लिये बढायी जा सकेगी।

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

2- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई-7-475/दस-2015, दिनांक 22-5-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लाल जी राय)
विशेष सचिव।

संख्या';3991(1)/14-2-2014-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।

(2)-मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी ।

(3)- जिलाधिकारी, झांसी।

(4)- प्रभागीय वनाधिकारी,झांसी वन प्रभाग,झांसी।

(5)- मण्डल अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0,झांसी।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in